



कार्यालय आदेश

ग्रेंटर नौएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक के अनुपूरक मद संख्या 122/4 में वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्व में ग्रेंटर नौएडा प्राधिकरण की आवंटित आवासीय भूखण्ड व विल्टअप भवनों की योजना के लिए ओ0टी0एस0 योजना (One Time Settlement Policy) निम्न शर्तों के साथ लागू की जाती है:-

(1.) एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया:-

1. ओ.टी.एम. योजना के अन्तर्गत आवासीय (भूखण्ड/ भवन) योजनाओं में केवल उन पत्रकों पर लागू होगी जोकि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान में डिफाल्टर है या फिर उनके द्वारा लीजहोड निष्पादित नहीं कराया गया है। भाविष्य के लिये यह योजना लागू नहीं होगी।
2. ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत, जिन आर्वाटियों द्वारा एक बार लाभ प्राप्त किया जा चुका है। उन पत्रकों में यह योजना लागू नहीं होगी।
3. ओ.टी.एम. के अन्तर्गत, जिन आर्वाटियों द्वारा एक बार लाभ प्राप्त किया जा चुका है। उन पत्रकों में यह योजना लागू नहीं होगी।
4. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं के आवंटियों को प्राधिकरण के सम्बन्धित विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से ओ0टी0एस0 योजना के समस्त विकल्पों के साथ उनकी देयता की सूचना दी जाये।
5. उक्त प्रकार के समस्त आवंटियों की सूची जिसमें देयता का पृथक-पृथक उल्लेख हो। प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
6. ओ0टी0एस0 योजना प्राधिकरण द्वारा आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय भूखण्ड/ निर्मित भवनों के आवंटियों पर लागू होगी, अन्य किसी प्रकार की योजना पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।
7. ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2021 तक आवेदन करने पर 150 वर्गमीटर में कम आकार वाले भूखण्ड एवं भवनों के आर्वाटियों हेतु प्रोसेसिंग फीस रु 2000.00 तथा 150 वर्गमीटर में अधिक आकार वाले भूखण्डों एवं भवनों के आर्वाटियों हेतु रु 5000.00 प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी, जिसका समायोजन किसी भी देयता में न किया जाये।
8. ओ0टी0एस0 योजना हेतु आवंटी को वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष अति देयता ((Defaulted Amount + 64.7% Extra Incentive+ Late Lease Deed Penalty) के कुल योग का 50 प्रतिशत (जो कि जमा होने वाली धनराशि आगणित लागत/ देय धनराशि में समायोजित की जायेगी) को जमा करना होगा।
9. ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदक को आवेदन के साथ पत्राचार का पूर्ण पता अंकित करना होगा।
10. एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवेदन करने की तिथि वह मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदनकर्ता द्वारा ओ0टी0एस0 आवेदन के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि जमा कर दी गयी है। आवेदन पंजीकृत डाक व प्राधिकरण के डिस्पैच काउन्टर पर स्वीकार किये जायेंगे तथा सम्बन्धित विभाग प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पृथक से रजिस्टर बनाकर प्राप्त आवेदनों का विवरण उस रजिस्टर में दर्ज करेगा।
11. ओ0टी0एस0 योजना हेतु निर्धारित तिथि 30.09.2021 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाये।

(2) एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) में आवंटियों को दी जाने वाली छूट :-

क - प्रीमियम डिफाल्टर के सापेक्ष छूट

- क.1 ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों में साधारण ब्याज , जो सम्पत्ति के आवंटन के समय क्रिनों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा। यदि किसी आवंटि द्वारा ओटीएसओ योजना लागू होने से पूर्व सम्पत्त भुगतान क्रिया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- क.2 आवंटियों में प्रीमियम के सापेक्ष क्रिमा भी प्रकार का उण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्टर अर्वाधि का ब्याज विन्दु संख्या "क -1" के अनुसार लिया जायेगा।

ख 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष छूट

- ख.1 ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों में 9.5% साधारण ब्याज दर से ब्याज लिया जायेगा। यदि क्रिमा आवंटि द्वारा ओटीएसओ योजना लागू होने से पूर्व सम्पत्त भुगतान क्रिया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- ख.2 आवंटियों में 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष क्रिमा भी प्रकार का उण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्टर अर्वाधि का ब्याज विन्दु संख्या "ख - 1" के अनुसार लिया जायेगा।

ग - अपंजीकृत लीजडीड में आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष छूट

- ग.1 ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत केवल वे आवंटि जिनके द्वारा भूखण्ड व भवन की लीजडीड निष्पाडित नहीं करायी गयी है। उन प्रकरणों में नियमानुसार निम्नवत छूट अनुमत्त होगी :-

ओटीएसओ लागू होने की तिथि से 30.09.2021 तक आवडेन करने पर	कुल लीजडीड विलम्ब शुल्क का 60% धनराशि जमा करनी होगी अर्थात् विलम्ब शुल्क में 40% की छूट अनुमत्त होगी।
---	---

3. सम्पत्ति विभाग द्वारा ओटीएसओ के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण विषयक:-

- ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में प्रीमियम + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर डिफाल्ट + लीजडीड विलम्ब शुल्क यथा आवश्यक तीन अथवा एक पर भी गणना की जाये
- ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत यदि आवंटि की प्रीमियम+64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर डिफाल्ट + लीजडीड विलम्ब शुल्क तीन के सापेक्ष बकाया है तो (प्रीमियम + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर डिफाल्ट + लीजडीड विलम्ब शुल्क) के आगणन के आधार पर देय धनराशि को आवंटि को एक मुश्त जमा करना होगा।
- ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विभाग आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर क्रिया जाये।
- गणना उपरान्त वॉछित धनराशि को पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवंटि को जमा कराये जाने की सूचना, आवंटि द्वारा दिये गये पत्राचार पते व स्थाई पता तथा उसके ई-मेल, जो भी उपलब्ध हो, के माध्यम से दी जाये।

5. ओ0टी0एस0 योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है तो उस धनराशि का समायोजन लीजडीड सम्बन्धी अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। यदि इसके पश्चात भी धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वापस न किया जाये।
6. ओ0टी0एस0 योजना का लाभ केवल वे आवंटी ही प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया गया हो। यदि वे आवंटी भी इस योजना का लाभ लिये जाने के इच्छुक हैं तो उनको नियमतः सर्व प्रथम वाद वापस लिये जाने हेतु मा0 न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करना होगा। लम्बित वाद/याचिका को वापस लिए जाने के बाद उसकी सत्यापित प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करानी होगी, जिसके पश्चात ही ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

उक्त आदेश प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 122/4, दिनांक 26.06.2021 में मा0 बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by
Deep Chandra
ACEO IAS
12/07/21 11:53:38

(डीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी)।
3. विशेषकार्याधिकारी (एस0 के) / महाप्रबन्धक (वित्त / परियोजना)।
4. पंभागी (मिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु पंपित।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

Signed by
Kamlesh Kumar
D.G.M
12/07/21 16:00:25

महायुक्त महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)